

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक प06(1)राज-6/2014/पार्ट-1/ जयपुर, दिनांक- १२/५/१८

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषय:- राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 के दौरान उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार के रिक्त पदों पर कार्य कर रहे अधिकारियों के उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार के कर्तव्य पालन बाबत।

महोदय,

जैसा कि विदित है कि राज्य में दिनांक 01.05.2018 से 30.06.2018 तक राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 का आयोजन किया जा रहा है। इस अवधि में राजस्व न्यायालयों द्वारा राजस्व मामलों को लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किया जाना है।

कतिपय जिला कलक्टरों द्वारा यह ध्यान में लाया गया है कि उनके जिले में अनेक जगह उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार के पद रिक्त हैं तथा उन पदों का कार्यभार अतिरिक्त रूप से उनके समकक्ष अधिकारियों को दिया हुआ है। यहां यह प्रश्न उठाया गया है कि अंतिरिक्त रूप से कार्य संभाल रहे अधिकारियों द्वारा राजस्व न्यायालयों के कर्तव्यों को निर्वहन कराया जा सकता है अथवा नहीं ?

उपरोक्त बिन्दु के समाधान हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 28 सुसंगत है। धारा 28 में स्थायी रिक्त पदों पर अस्थाई रूप से Succeed करने वाले अधिकारी के कार्य बाबत प्रावधान उपबंधित है। इसके अनुसार उपखण्ड अधिकारी अथवा तहसीलदार का पद स्थायी रूप से रिक्त होने के फलस्वरूप कोई अधिकारी उपखण्ड अथवा तहसील जैसी भी स्थिति हो, अस्थाई रूप से उस पद पर Succeed करता है तो ऐसे अधिकारी से राजस्थान में लागू किसी विधि द्वारा उपखण्ड अधिकारी या तहसीलदार को प्रदल्ल समस्त शक्तियों का प्रयोग तथा उस पर आरोपित समस्त कर्तव्यों का पालन अपेक्षित है।

अतः उपरोक्तानुसार स्पष्ट किया जाता है कि स्थाई रिक्त पदों पर कार्यरत ऐसे अधिकारी उपचारण्ड अधिकारी अथवा तहसीलदार के कर्तव्यों के पालन में राजस्व मामलों को निस्तारित करने हेतु अधिकृत है।

भवदीय,
१२।८।१५

(रामनिवास जाट)
संयुक्त शासन सचिव,

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री जी, राजस्व विभाग (स्वतन्त्र प्रभार)।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव राजस्व विभाग।
5. समस्त संयुक्त शासन सचिव / उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
6. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
7. समस्त सम्भागीय आयुक्त राजस्थान।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क राजस्थान को प्रकाशन हेतु।
9. राविरा, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
10. रक्षित पत्रावली।

३।८।५।१५
संयुक्त शासन सचिव